कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमांकःनपाश्रीमा/2021–22/ 4946 दिनांकः 09/03/2022

एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 09.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 04 (चार) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :–

1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(हरिनारायण)	(अध्यक्ष)	उपस्थित।
2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रजत जैन)	(सदस्य सचिव)	उपस्थित।
3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर	(मो. अजहर जादू)	(सदस्य)	उपस्थित।
4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(लोकेश निठारवाल)	(सदस्य)	उपस्थित।
5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रक्षपाल स्वामी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	उपस्थित।
6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(निश्चल बनर्जी)	(विशेष आमंत्रित सदस्य)	उपस्थित।

उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त समिति की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :–

1. **श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री मनोहर लाल सैनी द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर मे खसरा नं. 2753/1026 कुल खसरे 01 रकबा 0.0930 है. अर्थात 930 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने पर विचार / निर्णय :–** अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशासी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा बताया गया कि श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री मनोहर लाल सैनी द्वारा राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर मे खसरा नं. 2753/1026 कुल खसरे 01 रकबा 0.0930 है. अर्थात 930 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में दिनांक 27.12.2021 को आवेदन प्राप्त हुआ । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर को उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक उपयोग की पश्चात प्रदान करने और भूमि परं अभिधृति अधिकारो की निर्वापित करने के संबंध में आक्षेप / सहमति से सूचित करने हेतु नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3553 दिनांक 27.12.2021 द्वारा पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में

श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर द्वारा कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप–6 में सहमति रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस अनुसार उक्त भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है और किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश उक्त भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3725–3729 दिनांक 05.01.2022 द्वारा प्रारूप–11 में उक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर–कृषिक आवासीय उपयोग हेतु 90 (क) आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90 (क) आदेशो की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3767 दिनांक 06.01.2022 द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर को उक्त भूमि के संबंध में कृषि भूमि से गैर–कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीआर 1600/316/श्रीमाधोपुर/2021/1248 दिनांक 10.01.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन उक्त वर्णित भूमि के कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु स्थानीय ले–आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा अपनी राय देते हुए उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा जितनी भूमि का पट्टा दिया जा रहा है, उसके अलावा आवेदक का आवेदित भूमि से लगता हुआ अतिक्रमण है तो उसे हटाया जावे अथवा इस संबंध में आवेदक से शपथ पत्र लिया जावे कि आवेदित भूमि से लगता हुआ आवेदक द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण आवेदक के स्वयं के खर्चे पर हटा लिया जावेगा।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग,सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा आवेदक श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री मनोहर लाल सैनी को राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर खसरा

नं. 2753/1026 कुल खसरे 01 रकबा 0.0930 है. अर्थात 930 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया ।

2. <u>वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए विभिन्न कार्यो के वार्षिक अनुबन्ध /ठेके किये जाने पर विचार / निर्णय :–</u> अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा एम्पावर्ड समिति को उक्त एजेडे के संबंध में अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 27.09.2021 द्वारा एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है उसमें स्पष्ट है उल्लेख किया गया है कि सम्बन्धित निकाय के मेयर/सभापति/अध्यक्ष एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष होगे, अर्थात एम्पावर्ड कमेटी का चेयरपर्सन सम्बन्धित नगर पालिका का अध्यक्ष है एवं सम्बन्धित नगर पालिका का अधिशाषी अधिकारी एम्पावर्ड कमेटी का सदस्य सचिव होगा। इससे स्पष्ट होता है कि एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के अध्यक्ष से पत्रावली पर सम्बन्धित एजेडो के अनुमोदन एवं समय निर्धारण के बाद ही एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जा सकेगी, किन्तु आप द्वारा इसकी पालना नही करते हुए ही बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के ही अपने स्तर से ही एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आहूत करते रहे है एवं सन्दर्भित बैठक भी बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के आहूत करना पूर्णतया गैर कानूनी है एवं आपकी स्वेच्छाचारिता है।। दिनांक 09.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे सन्दर्भित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में एजेण्डा बिन्दू 2 जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए विभिन्न कार्यो के वार्षिक अनुबन्ध/ ठेके किये जाने पर विचार / निर्णय प्रस्तावित है किन्तु इसमें विभिन्न कार्यो को स्पष्ट नही किया गया है और न ही इस बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित, मौखिक अवगत कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में किस–किस माल, सेवा, संविदा व अन्य अनुबन्ध / ठेके पर किये जाने से स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए किये गये विभिन्न कार्यो के वार्षिक अनुबन्ध / ठेको की अवधि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाली है। इस कारण नगर पालिका श्रीमाधोपुर के सूचारू कार्य संचालन एवं सामान्य प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवश्यक कार्यो का अनुबन्ध / ठेका किया जाना अति आवश्यक है। जिनका अनुमानित व्यय विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय (लाखो में)
1	विभिन्न विद्युत सामान क्रय वार्षिक अनुबन्ध	9.95
2	टेन्ट एवं माईक सेट वार्षिक अनुबंध	4.50
3	स्ट्रीट लाईट रखरखाव व ऑन ऑफ का सम्पूर्ण कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	4.90
4	सार्वजनिक शौचालयो, सामुदायिक शौचालयो व आवश्यकतानुसार पानी टेंकर सप्लाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	2.00
5	फिनाईल एवं कीटनाशक क्रय का वार्षिक अनुबन्ध	3.00
6	सफाई उपकरण क्रय का वार्षिक अनुबन्ध	3.00
7	स्टेशनरी छपाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	2.00
8	कार्यालय उपयोग हेतु फोटोकापी कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	1.00
9	बैनर एव फलेक्स मय लोहे की फ्रेम छपाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध	3.50
10	कार्यालय हेतु पेयजल आपूर्ति वार्षिक अनुबन्ध	1.00
11	सीकर एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसायटी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर, ऑटो टिपर चालक, टेक्ट्रर चालक, वाहन चालक, फायर वाहन चालको का वार्षिक अनुबन्ध	80.00
12	जनरेटर थ्री फेस 40 KV/60KV किराये पर उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक अनुबन्ध	3.00
	कुल योग	**117.85 लाख**

अतः अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू सख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जायेगे। उक्त आदेशो की पालना में एवं नगर पालिका श्रीमाधोपुर के सूचारू कार्य संचालन एवं सामान्य प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उक्त एजेण्डे पर अध्यक्ष महोदय नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा असहमति / विरोध दर्ज करते हुए एम्पावर्ड समिति के शेष उपस्थित सदस्यो द्वारा श्रीमाधोपुर पालिका क्षेत्र में उपरोक्त तालिका अनुसार अनुबन्ध/ ठेके करवाये जाने हेतु 117.85 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने निर्णय बाद विचार विमर्श बहुमत से लिया गया।

3. <u>रोड लाईट विस्तार एवं रोशनी व्यवस्था हेतु एलईडी लाईट तथा फेजवायर क्रय किये जाने पर विचार/ निर्णय :-</u> अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा एम्पावर्ड समिति को उक्त एजेडे के संबंध में अवगत करवाया गया कि इसी प्रकार एजेडे की बिन्दू संख्या 03 में भी स्पष्ट नही है कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर मे रोड लाईट विस्तार कहां-कंहा क्यो करवाया जाना है एवं रोशनी व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. लाईट एवं फेजवायर कितनी मात्रा में कितनी राशि का क्रय किया जाना है, इससे पहले रोशनी व्यवस्था हेतु एल.ई.डी. लाईट एवं फेजवायर कितना-कितना क्रय किया गया एवं कहां-कंहा इसका उपयोग हुआ? उल्लेखनीय है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधिकारी है बैठक में प्रकरण की चर्चा से पूर्व पत्रावली पर विभिन्न माल, सेवा, संविदा व अन्य अनुबन्धो से पूर्व एवं क्रय किये जाने वाले माल, वस्तु व अन्य कार्य का मांग पत्र आवश्यकता का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्तर से होना आवश्यक है। नगर पालिका श्रीमाधोपुर में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 03 के अन्तर्गत उपापन समिति का गठन किया हुआ है, एम्पावर्ड कमेटी में एजेडा बिन्दू संख्या 02 एवं 03 प्रस्तावित किये जाने से पूर्व इस बाबत उपापन समिति द्वारा विचार बाद लिये गये प्रस्तावो को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधिकारी होने के नाते अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाकर अनुमोदनपरान्त नगर पालिका बोर्ड एवं एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा जाना चाहिए, किन्तु आप द्वारा ऐसा नही किया जाकर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 वित्तीय लेखा नियमो एवं राज्य सरकार द्वारा इस बाबत् समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशो की अवहेलना की जा रही है। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के नियम 03 में उपापन संस्था के लिए संकर्म, माल एवं सेवाओ (**works goods and services**) हेतु उपापन समिति का प्रावधान है उक्त समिति बोली/ निविदा दस्तावेज तैयार करना, बोलियो / निविदाओ को खोलना, बोलियो / निविदाओ के मुल्यांकन, सविदा अनुश्रवण मौके पर पर क्रय (**spot purchage**) प्रतियोगी बातचीत इत्यादि कार्य करेगी तथा उक्त समिति अध्यक्ष एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा उपापन से सम्बन्धित कोई अन्य प्रयोजन हेतु दिये गये

निर्देशो के लिए कार्य करेगी । इस हेतु पालिका पत्रांक 5054 दिनांक 31.03.2021 द्वारा उक्त कमेटी का गठन किया जा चुका है। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के माननीय पार्षदो द्वारा नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र की रोशनी व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु एलईडी स्ट्रीट लाईट एवं फेजवायर क्रय किये जाने की मांग की गई एवं इसके अतिरिक्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर की जनता के द्वारा लगातार नगर पालिका में रात्रि के दौरान अंधेरे रास्तो एवं गलियो में रोड लाईटे लगवाये जाने की शिकायते की जा रही है। जिसके सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में रोशनी व्यवस्था के सुदृढीकरण, रोड लाईटो से सम्बन्धित शिकायतो के त्वरित निस्तारण हेतु एलईडी स्ट्रीट लाईट (लगभग मात्रा 400) एवं फेजवायर (लगभग 8000 मीटर)क्रय किये जाने पर लगभग 25.90 लाख रूपये का व्यय होना अनुमानित है।

अतः उक्त प्रकरण में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा असहमति / विरोध दर्ज करते हुए एम्पावर्ड समिति के शेष उपस्थित सदस्यो द्वारा माननीय पार्षदो की मांग एवं नगर पालिका श्रीमाधोपुर क्षेत्र में रोशनी व्यवस्था के सुदृढीकरण एवं रोड लाईटो से सम्बन्धित शिकायतो के त्वरित निस्तारण हेतु को ध्यान में रखते हुए एलईडी स्ट्रीट लाईट एवं फेज वायर क्रय किये जाने हेतु 25.90 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का निर्णय बाद विचार विमर्श बहुमत से लिया गया।

4. **शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :–** उक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 450 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन

पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 260 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

नोट :– अध्यक्ष महोदय नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा एम्पावर्ड समिति के एजेण्डे संख्या 02 एवं 03 पर आम जनहित कार्य एवं नगर पालिका श्रीमाधोपुर के सुचारू कार्य संचालन एवं सामान्य प्रशासन के कार्यो पर प्राप्त बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय पर असहमति/विरोध प्रकट करते हुए एम्पवार्ड समिति के कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर करने से इनकार / मना कर दिया गया।

03/03/2022

(हरिनारायण) अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर	(रजत जैन) अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीमाधोपुर	(मो. अजहर जादू) उप/जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर
(रक्षपाल स्वामी) विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर	Lokesh Mithawal 03/03/2022 (लोकेश मिठारवाल) कनिष्ठ अभियन्ता नगरपालिका श्रीमाधोपुर	(निश्चल बनर्जी) लेखा प्रभारी प्रभारी लेखा शाखा नगरपालिका श्रीमाधोपुर